भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2650
बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

कोविड संकट के कारण बढ़ती बेरोजगारी

2650. डा. विकास महात्मे

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश इस कोविड संकट के कारण, चक्रीय और संरचनागत बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है;
(ख) रोजगार सृजित करने की दीर्घकालिक मंत्रालयी योजनाएं क्या हैं जो कोविड के कारण लुप्त हो गई हैं;
(ग) क्या ऐसा मानना है कि कुछ नौकरियों की शैली और स्वरूप के कारण वह हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी, और मंत्रालय किस प्रकार सुलभ, नवोन्मेषी, टिकाऊ और सबसे हटकर रोजगार सृजित करने का विचार कर रहा है; और
(घ) क्या मंत्रालय विपरीत प्रवासन को प्रभावहीन बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक हॉटस्पाट्स विकसित करने की दिशा में विचारशील है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 6.0%, 5.8% एवं 4.8% है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मासिक पे-रोल आंकडो का प्रकाशन भी कर रहा है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशदाता आधार में संचयी शुद्ध पे-रोल वृद्धि 77.08 लाख है, जो कि पिछले वर्ष (78.58 लाख) के लगभग बराबर है। यह देखा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के महीने को छोड़कर 2020-21 के प्रत्येक माह में ईपीएफओ अंशदाता आधार द्वारा दर्शाए गए शुद्ध पे-रोल में वृद्धि हुई है।

कोविड-19 महामारी तथा उसके बाद लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। सरकार ने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज के अंग के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने और उन्हें अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

सरकार ने सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक प्रमुख पहल, स्टार्टअप इंडिया शुरू की है।

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीनकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) को समर्थन देने के लिए अपनी फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित लौटने वाले प्रवासी कामगारों के नए कौशल (अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)) और अपस्किलिंग (पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल)) के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किया है। इस विशेष कार्यक्रम में 6 राज्यों नामतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया है। एमएसडीई ने जिला प्रशासन के सहयोग से वापसी करने वाले प्रवासियों की कौशल मैपिंग की है और पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों की पहचान की है।

सरकार ने विभिन्न केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020' में सरलीकृत, समामेलित एवं युक्तिसंगत किया है, जो निवेश को प्रोत्साहन देगा और इस प्रकार अधिक उद्यमों की स्थापना को उत्प्रेरित करेगा जिससे देश में रोजगार के अवसरों में सृजन हो।

*****